



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-122

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 134197 दिनांक 21/03/2023 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	AVNISH KUMAR BHARADWAJ J S/o Moti Lal Bharadwaj एवं Anil Kumar Bharadwaj S/o Moti Lal Bharadwaj	श्री अविनाश कुमार भारद्वाज एवं श्री अनिल कुमार भारद्वाज पुत्र स्व. श्री मोती लाल भारद्वाज	C/29	220.00 SQ. METER	JDA	CENTRAL SPINE Sector/Block-AA	Name Transfer	जविप्रा की योजना सैन्ट्रल स्पाईन के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एए/सी-29 के आवेदक श्री अविनाश कुमार भारद्वाज एवं श्री अनिल कुमार भारद्वाज पुत्र स्व. श्री मोती लाल भारद्वाज द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेज आवंटन पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर के नाम हस्तान्तरण/लीजडी ड हेतु आवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवंटन सम्बन्धी रिपोर्ट राजस्व शाखा से एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्बन्ध विधिक परीक्षण एवं वाद-विवाद सम्बन्धी रिपोर्ट एल.ए. से ली जानी है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. AVNISH KUMAR BHARADWAJ S/o Moti Lal Bharadwaj एवं Anil Kumar Bharadwaj S/o Moti Lal Bharadwaj को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |